न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 936/2022
अनवान : –

1. देवीलाल पुत्र लिछमणराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. प्रेम कुमार पुत्र स्व0 लिछमणराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।
2. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 लिछमणराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।
3. दलीपसिंह पुत्र स्व0 लिछमणराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।
4. इमरती पुत्री स्व0 लिछमणराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।
5. सावित्री पुत्री स्व0 लिछमणराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री स्व0 लिछमणराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 01/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 178/178 की कुल 97.8970 भूमि में से 326/489485 हिस्सा भूमि लिछमण पुत्र घड़सी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लिछमण पुत्र घड़सी के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है लिछमण पुत्र घड़सी का देहान्त हो चुका है तथा लिछमण पुत्र घड़सी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 है जो लिछमण पुत्र घड़सी के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 जो की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर [illegible] की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार [illegible] में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 178/178, मृत्यु प्रमाण लिछमण पुत्र घड़सी तथा सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता लिछमण पुत्र घड़सी के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है लिछमण पुत्र घड़सी का देहान्त हो चुका है तथा लिछमण पुत्र घड़सी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 है जो लिछमण पुत्र घड़सी के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 जो की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 178/178 की कुल 97.8970 भूमि में से 326/489485 हिस्सा भूमि लिछमण पुत्र घड़सी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान में वादी के पिता लिछमण पुत्र घड़सी के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है लिछमण पुत्र घड़सी का देहान्त हो चुका है तथा लिछमण पुत्र घड़सी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 है जो लिछमण पुत्र घड़सी के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 जो की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए सहमति/ ईकबाल पेश किया गया है कि वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 178/178 की कुल 97.8970 भूमि में से 326/489485 हिस्सा भूमि में मृतक लिछमण पुत्र घड़सी का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01/04/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:06 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 936 / 2022

अनवान : –

1. देवीलाल पुत्र लिछमणराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. प्रेम कुमार पुत्र स्व0 लिछमणराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।
2. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 लिछमणराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।
3. दलीपसिंह पुत्र स्व0 लिछमणराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।
4. इमरती पुत्री स्व0 लिछमणराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।
5. सावित्री पुत्री स्व0 लिछमणराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री स्व0 लिछमणराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 936 सन 2022 निर्णय दिनांक –01/04/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 178 / 178 की कुल 97.8970 भूमि में से 326 / 489485 हिस्सा भूमि में मृतक लिछमण पुत्र घड़सी का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/04/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:06 IST
Reason: SelfAttested